UPJB010037902026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जिला अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–968/2026

अरमान उर्फ काले पुत्र जहुर हुसैन , निवासी ग्राम पैतिया माफी , थाना असमोली, जिला सम्भल।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–130/2026
धारा–**109 बी.एन.एस.**
व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–सैदनंगली , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः 30.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **अरमान उर्फ काले** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2026 को थानाध्यक्ष विकास कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ देख–रेख व शान्ति व्यवस्था में मामूर होकर सम्भल हसनपुर मार्ग पर कब्रिस्तान मोड़ कस्बा सैदनंगली पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि बलात्कार के मुकदमे से संबंधित अरमान उर्फ काले खाँ सकतपुर की ओर से सैदनंगली आने वाला है, जिसके पास नाजायज अस्लाह हो सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास करके पुलिस वालों ने जब सकतपुर रोड नहर पुल पर पहुंचकर चैकिंग शुरू की तो थोड़ी देर में सकतपुर की तरफ से एक मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही व्यक्ति अरमान उर्फ काले खाँ है तथा चला गया। तभी पुलिस वालों को अचानक देखकर मोटर साइकिल चालक तेजी से भागने लगा तभी पुलिस वालों ने उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल गिर गयी तथा वह भागने लगा जिसको रूकने को कहा तो उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। इसके द्वारा की गयी फायरिंग से एक गोली थानाध्यक्ष के पहनी बुलटप्रूफ जैकेट में लगकर रिकोचिट हो गयी तथा इतने में ही इस व्यक्ति ने दूसरा फायर किया जिसकी गोली कां0 सागर देशवाल के बांए हाथ को छूती हुयी निकल गयी तभी पुलिस वालों ने अदम्य साहस दिखाते हुए सरकारी पिस्टल से इस व्यक्ति के कमर के नीचे टारगेट करते हुए एक एक फायर किये तभी इस बदमाश की आवाज आयी कि मुझे गोली लग गयी है , तब पुलिस पार्टी द्वारा जमीन पर पड़े इस व्यक्ति के पास जाकर देखा तो इसके दाहिने पैर में घुटने से नीचे गोली लगी है, खून बह रहा है, जिसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 315 बोर व पास में एक अदद खोखा कारतूस पड़ा है। उक्त बदमाश को पकड़ते हुए इसका नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम अरमान उर्फ काले खाँ पुत्र जहुर हुसैन बताया। बरामद तमंचा 315 बोर को खोलकर देखा गया तो नाल में एक खोखा कारतूस फंसा है। तमंचा चालू हालत में है। बरामद तमंचा मय नाल में फंसे खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस को फिल्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन कर ऐवीडेंस पैकेट में दो अलग अलग नमूने खूनालूदा मिटटी व एक नमूना सादा मिटटी संकलित कर उपलब्ध कराये बरामद एक अदद तमंचा 315 बोर मय नाल में फंसा खोखा कारतूस व एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस व अन्य सभी चीजों

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.30 16:44:06 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को मय पन्नी सहित एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त का कहना है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस द्वारा उससे फर्जी बरामदगी दिखायी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। जमानत की शर्तों का प्रार्थी पालन करेगा , इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

4. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

1. किसी भी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट फायरिंग से नहीं आयी है।
2. कां0 सागर देशवाल के हाथ को छूती हुयी गोली निकलना बताया गया है तथा कां0 सागर देशवाल को घायल होना भी बताया गया है परन्तु कां0 सागर देशवाल की कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3. विवेचना दिनांक 28.06.2026 को पूरी की जा चुकी है।
4. अभियुक्त दिनांक 06.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

06. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की जा रही है–

1. अभियुक्त सम्बन्धित विचारण/सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से न्यायालय को अवगत कराते हुए **संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र और या निर्धारित प्रतिभूति/प्रतिभूतियां निष्पादित करके जमानत का लाभ प्राप्त करेगा।**
2. दौरान विचारण में सहयोग करेगा व हस्तक्षेप नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेगा।
4. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सहयोग करेगा।
5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
6. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।
7. अभियुक्त यदि बंधपत्र में दिये गये अपने पते में परिवर्तन करते हैं , तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को या आरोप पत्र आ जाने पर न्यायालाय को देनी होगी। इस शर्त का पूरा कराने का दायित्व भी प्रतिभूगण का होगा।
8. यदि जमानती दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अभियुक्त को तत्काल न्यायालय को देनी होगी और अपना समर्पण न्यायालय के समक्ष करते हुए नये प्रतिभू उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा न होने पर यह आधार जमानत निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त होगा।

उपरोक्त शर्तो का प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–30.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।